

मध्य प्रदेश शासन  
लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17.09.2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 308/05/01/2010 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम,2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

सारणी

1. ऊर्जा विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिये मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है -					
	अ. जोन/ शहरी वितरण	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी	11 कार्य दिवस	कार्यपालन	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

	केन्द्र कार्यालय ब. ग्रामीण क्षेत्र	वितरण केन्द्र प्रभारी	16 कार्य दिवस	अभियंता कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.2	मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना ।  अ. जोन/ शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय  ब. ग्रामीण क्षेत्र	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी  वितरण केन्द्र प्रभारी	10 कार्य दिवस  14 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता  कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस  30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता  अधीक्षण अभियंता
1.3	जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ 10 कि.वा.तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थाई कनेक्शन प्रदान करना ।  अ. जोन/ शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय  ब. ग्रामीण क्षेत्र	जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी  वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस  3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता  कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस  30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता  अधीक्षण अभियंता
1.4	जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्धि					

	<p>के प्रकरणों में मांग-पत्र जारी करना ।</p> <p>अ. जोन/ शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय</p> <p>ब. ग्रामीण क्षेत्र</p>	<p>जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी</p> <p>वितरण केन्द्र प्रभारी</p>	<p>7 कार्य दिवस</p> <p>7 कार्य दिवस</p>	<p>कार्यपालन अभियंता</p> <p>कार्यपालन अभियंता</p>	<p>30 कार्य दिवस</p> <p>30 कार्य दिवस</p>	<p>अधीक्षण अभियंता</p> <p>अधीक्षण अभियंता</p>
1.5	<p>जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ मांगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत भारवृद्धि करना ।</p> <p>अ. जोन/ शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय</p> <p>ब. ग्रामीण क्षेत्र</p>	<p>जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी</p> <p>वितरण केन्द्र प्रभारी</p>	<p>7 कार्य दिवस</p> <p>7 कार्य दिवस</p>	<p>कार्यपालन अभियंता</p> <p>कार्यपालन अभियंता</p>	<p>30 कार्य दिवस</p> <p>30 कार्य दिवस</p>	<p>अधीक्षण अभियंता</p> <p>अधीक्षण अभियंता</p>
1.6	<p>निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जाँच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना</p> <p>अ. जोन/ शहरी वितरण केन्द्र कार्यालय</p>	<p>जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी</p>	<p>22 कार्य दिवस</p>	<p>कार्यपालन अभियंता</p>	<p>30 कार्य दिवस</p>	<p>अधीक्षण अभियंता</p>

	ब. ग्रामीण क्षेत्र	वितरण केन्द्र प्रभारी	37 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
--	--------------------	-----------------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------

## 2. श्रम विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	<u>ग्रामीण क्षेत्र-</u> मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत  <u>शहरी क्षेत्र-</u> प्राधिकृत श्रम अधिकारी अथवा जहां श्रम कार्यालय नहीं है वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	<u>ग्रामीण क्षेत्र-</u> मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत  <u>शहरी क्षेत्र-</u> प्राधिकृत श्रम अधिकारी अथवा जहां श्रम कार्यालय नहीं है वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ	<u>ग्रामीण क्षेत्र-</u> मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

	प्रदान करना	<b>शहरी क्षेत्र-</b> प्राधिकृत श्रम अधिकारी अथवा जहां श्रम कार्यालय नहीं है वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी				
--	-------------	---	--	--	--	--

### 3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
3.1	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.2	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप की लाइनअसेम्बली व सिलेण्डर की गंभीर खराबी का सुधार ।	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री

### 4. राजस्व विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

	अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।					
4.2	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार(अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

## 5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना	(1) नगर पालिका/ नगर पंचायत क्षेत्र का मुख्य नगर पालिका अधिकारी  (2) नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	30 कार्य दिवस	(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  (2) आयुक्त, नगर पालिक निगम  (3) कलेक्टर	30 कार्य दिवस	(1) कलेक्टर  (2) कलेक्टर  (3) संभागीय आयुक्त

		(3) आयुक्त, नगर पालिक निगम				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

## 6. सामान्य प्रशासन विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
6.1	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपनी अपनी अधिकारिता में	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15कार्य दिवस	कलेक्टर

## 7. सामाजिक न्याय विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम	
1	2	3	4	5	6	7	
7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	
		2. नगरीय क्षेत्र के लिये					
		अ-आयुक्त, नगर निगम,	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	
		ब-मुख्य नगर पालिका अधि0 नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	
7.2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय	1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	

	वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	<b>2. नगरीय क्षेत्र के लिए</b>				
		अ-आयुक्त, नगर निगम,	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब- मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	<b>1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए</b>	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<b>2. नगरीय क्षेत्र के लिए</b>				
		अ-आयुक्त, नगर निगम,	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब- मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	<b>1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए</b>	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<b>2. नगरीय क्षेत्र के लिए</b>				
		अ-आयुक्त, नगर निगम,	60 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब- मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	60 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदाय करना	<b>1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए</b>	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<b>2. नगरीय क्षेत्र के लिए</b>				
		अ-आयुक्त, नगर निगम,	30 कार्य दिवस	अ-कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
		ब- मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पालिका/नगर पंचायत	30 कार्य दिवस	ब- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

## 8. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
8.1	म.प्र. अनुसूचित जाति / जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन का समाधान करना	जिला संयोजक / सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त

### 9. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
9.1	नवीन बीपीएल राशनकार्ड जारी करना	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी ।	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक / जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार ।	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.2	नवीन एपीएल राशनकार्ड जारी करना	जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय के आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक / जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सचिव	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(वीना वर्मा)  
उप सचिव  
लोक सेवा प्रबंधन विभाग